राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1643/2009/जयपुर.

मैसर्स राजकुमार बिशनदास,
आतिश मार्केट, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज. वृत्त–प्रथम, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एस. के. जैन,
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 02/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी ने यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 218/अपील्स–।।/आरएसटी/जयपुर/डी/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.1998 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 37 सपठित धारा 34 के तहत सृजित मांग राशि रूपये 4,87,746/– को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया जाकर मांग सृजित की गयी थी, जिसके विरूद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 16.02.1996 से प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 16.02.1996 के अनुसरण में सशक्त अधिकारी द्वारा यह विवादित आदेश पारित किया जाकर निम्न प्रकार से मांग सृजित की गयी है :–

A. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राशि रूपये 1,72,665/– की बिक्री के समर्थन में फार्म एस.टी.–17 पेश नहीं किये गये हैं, जिसके कारण अतिरिक्त कर 7 प्रतिशत से रूपये 12,087/– आरोपित किया गया है तथा इस क्रम में ब्याज रूपये 15,713/– आरोपित किया गया है।

लगातार.....2

B. अपीलार्थी व्यवहारी सर्वेक्षण के वक्त पाये गये लूज पेपर्स का सत्यापन कराने में असमर्थ रहा है, अतः इससे संबंधित 3,16,114/— रूपये की बिक्री को छिपाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत से कर रूपये 31,611/— आरोपित किया गया है तथा इस क्रम में ब्याज राशि रूपये 43,628/— आरोपित की गई। अपीलार्थी द्वारा राशि रूपये 3,16,114/— की बिक्री को छिपाने के कारण उसके द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 16(1)(i) के तहत शास्ति रूपये 39,000/— आरोपित की गयी है।

3. अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण सक्षम अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. प्रत्यर्थी—विभाग के विद्वान उप—राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं तथा लूज पेपर्स से जिसके अनुसरण में अपीलार्थी की ओर से श्री रमेश चंद जैन, लैखाकार फर्म, एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि लेखा पुस्तकें लेकर सशक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए है। किन्तु उनके द्वारा अपवंचित खरीद—बिक्री से सम्बन्धित कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा वक्त सर्वेक्षण पाये गये लूज पेपर्स से संबंधित संव्यवहारों का सत्यापन लेखा—पुस्तकों से कराने में असमर्थ रहे हैं।

लगातार.....3

7. ऐसी स्थिति में वक्त सर्वेक्षण पाये गये लूज पेपर्स से संबंधित राशि की बिक्री अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा द्वारा किया जाना प्रमाणित होता है अथवा अन्य व्यवसायी द्वारा उक्त संव्यवहार किये गये हैं, इसको प्रमाणित करने का भार अपीलार्थी व्यवहारी का था, जिसका निर्वहन उसके द्वारा नहीं किया गया है। बार–बार समय दिये जाने के उपरांत भी, कि इन लूज पेपर्स से संबंधित बिक्री उसके द्वारा नहीं की गयी है, के संबंध में कोई साक्ष्य या सबूत अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किये गये हैं। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा इन लूज पेपर्स से संबंधित राशि की बिक्री अपीलार्थी द्वारा किया जाना मानते हुए, पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर करापवंचन की नियत से इन संव्यवहारों का लेखा पुस्तकों में इंद्राज नहीं किया गया है तथा कर चोरी की भावना से उचन्त बिक्री की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें सुनवाई का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रेकॉर्ड से पुष्ट नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वांछित साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने के उपरान्त, सक्षम अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति आरोपण सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी जाती है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में भी कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

8. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.11.2009 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष